


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्थल मानचित्र एवं संस्थानिक भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या :- संस्थानिक भूखण्ड
ग्राम का नाम :- बिशनावाला
खसरा संख्या :- 30
भू-उपयोग :- संस्थानिक
भूखण्ड का क्षेत्रफल :- 5387.97 वर्गगज
स्केल :- 1" = 100'



नोट:- भवन निर्माण स्वीकृति एकिकृत भवन विनियम-2017 के अनुसार देय होगी।

कनिष्ठ अभियंता
पी.आर.एन
(उत्तर)

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन
(उत्तर)


उपायुक्त एवं उपायुक्त अधिकारी
पी.आर.एन
(उत्तर)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-VII

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 05-10-2020 4:05 PM

Fee Receipt No	: 202002021010675	Receipt Date	: 05/10/2020
Name	: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS TRESAR TEENA KATARIA ,	Document S. No.	: 202001021008561
Address	: 00 ,OPP. PANDIT GAS AGENCY SIRSI ROAD ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 13145456	Evaluated Value	: ₹ 111498502
Ord-Registration Fee	: ₹ 131455	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 236640	Stamp Duty	: ₹ 788800
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1157195
		Total Amount	: ₹ 1157195



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0043446596



Payment Date: 05/10/2020 15:52:04

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	300.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्त	131455.00

Commision(-):

0.00

Total/NetAmount:

131755.00

One Lakh Thirty One Thousand Seven Hundred Fifty Five Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION
TEENA KATARI

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

City (Pincode):

JAIPUR(302021)

Pan No.(If Applicable):

Remarks:JDA PATTA

Address:KH NO 30 VILL BISHANAWALA SIRSI ROAD JAIPUR

Remarks:JDA PATTA

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: 000632688478505102020

Date: 05/10/2020 15:52:04

Refrence No: CKO0145140

Computer generated copy on : 05/10/2020


Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

Teena

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्



Handwritten text in Hindi, likely a signature or official note, located below the central stamp.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 05 माह 10 सन् 2020 को 04:04 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS
TRESAR TEENA KATARIA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री VIJAY PAL MIRDHA
उम्र 34 वर्ष, जाति JAT, व्यवसाय Other
निवासी House No.:00, Colony: OPP. PANDIT GAS AGENCY SIRSI
ROAD, Area: MIRDHA FARM HOUSE, City: JAIPUR, Pin code:
302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202001021008561

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-VII

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202002021010675
दिनांक	05-10-2020
पंजीयन शुल्क ₹	131455
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	788800
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	236640
कुल योग	1157195

202001021008561

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male)





Endorsement of Execution

अनु क्र. - पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS TRESAR TEENA KATARIA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री VIJAY PAL MIRDHA , व्यवसाय Otherजाति JAT House No.:00, Colony: OPP. PANDIT GAS AGENCY SIRSI ROAD , Area: MIRDHA FARM HOUSE , City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 34 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas(Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 13145456/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 13145456/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAM NIWAS , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HARI NARAYAN DADARWAL जाति JAT Age: 42 Add: House No.:00, Colony: JAIPUR , Area: DHANKYA , City: JAIPUR, Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202001021008561

उपपंजीयक, JAIPUR-VII

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male)



Registration Endorsement

आज दिनांक 05/10/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 609 में
पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 202003021107518 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2434 के
पृष्ठ संख्या 463 से 483 पर चस्पा किया गया।

202001021008561

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan Urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male)

रजप पंजीयक, JAIPUR-VII

उप पंजीयक
जयपुर राजप


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्थल मानचित्र एवं संस्थानिक भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या :- संस्थानिक भूखण्ड
ग्राम का नाम :- बिशनावाला
खसरा संख्या :- 30
भू-उपयोग :- संस्थानिक
भूखण्ड का क्षेत्रफल :- 5387.97 वर्गगज
स्केल :- 1" = 100'



उत्तर



नोट:- भवन निर्माण स्वीकृति एकिकृत भवन विनियम-2017 के अनुसार देय होगी।

कनिष्ठ अभियंता
पी.आर.एन
(उत्तर)

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन
(उत्तर)

उपायुक्त एवं उपायुक्त अधिकारी
पी.आर.एन
(उत्तर)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Registration Endorsement

आज दिनांक 05/10/2020 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 609 में
पृष्ठ संख्या 28 क्रम संख्या 202003021107518 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2434 के
पृष्ठ संख्या 463 से 483 पर चस्पा किया गया।

202001021008561

Lease Deed executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2020 (in favour of male)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

संस्थानिक पट्टा विलेख



D-1
25/9/2020 (पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत)

यह विलेख आज वर्ष 2020 के 25 माह (25) वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण/

बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री अलका सोसायटी जोर एडवोकेट्स

पुत्र श्री दीपक रिजा जाति जाति व्यावसायिक

निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाकत के जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि आवंटन दर तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और उसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किए जायें, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 1921/19/1/1 के/खसरा/भूखण्ड संख्या 24-1-30 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अंतर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, सुरक्षाओं, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अके मात्र पेशगी अदा करेगा, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-6 (15) नववि 3/87/पार्ट, जयपुर के दिनांक 29.01.2020 के अनुसरण में दर 720 रु 300 प्रति वर्गज से कुल आवंटित दर राशि रु. 7138.433/- शब्दों में 7138 रु 433 रुपये मात्र) देय होती है जो चालान/रसीद नं. 694837 दिनांक 25/9/2020 से जमा है इसका 2.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से शहरी जमाबन्दी देय है, आदेश क्रमांक एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.01.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि रु. 1748882/- (शब्दों में 1748882 रुपये मात्र) होती है, जो चालान नं. 694837 दिनांक 25/9/2020 से जमा है।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमिका किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अंतरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या यथास्थिति, अंतरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक के उपयोग हेतु जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी है, के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 2 वर्ष में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को नियमानुसार ही आगे और अंतरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्रगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अंतरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनो और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलो में जारी किये, शासित होगी।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ नियमों के अनुसार निर्धारित फीस निक्षिप्त की जायेगी, परंतु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति आवंटन दर व विकास शुल्क या नगरीय या ब्याज का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है की आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उलघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारिणी भी प्रकृत की पुकारणी के लिए दायी नहीं होगा।

जयपुर सप्तम्

उपायुक्त (कृ.प.उ.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूलड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।
12. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस संस्थानिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जावेगा। भूखण्डव भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
13. राज्यहित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
14. लीजधारक द्वारा नगर विकास न्यास नगरीय भूमि के निस्तारण नियम 1974, राज्य सरकार व जविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विधियों एवं आदेशों तथा योजना के अनुमोदन एवं प्रथम शिविर के समय लागू भवन विनियम आदेशों की पूर्णतः पालना की जाएगी।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: जयपुर
 राजस्व ग्राम: विशनावाला
 खसरा नम्बर: 5387/97/21
 योजना का नाम: ...
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गेज/मीटर: 5387/97/21

पूर्व..... पश्चिम..... प्लॉट की संख्या यदि कोई हो 29.1.30 सीमा उत्तर..... दक्षिण..... मानचित्र संलग्न है।

नोट: इस भूखण्ड की शहरी जमाबंदी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 1,31,45,456/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 78,880/- के नं. 10904 के कुल संख्या 5+1=6 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
 आज सन् 20..... के माह..... के..... वें दिन
 श्री रामरदन शर्मा R.A.S.
 ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

साक्षी :-

1. नाम रमेश कुमार मीणा
 पुत्र सहायक
 व्यावसाय जॉन-16 (PRN-N)
 निवास स्थान जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर)
2. नाम श्री राम जीवन जाट
 पुत्र लेखाधिकारी प्रथम
 व्यावसाय किताब खाना
 निवास स्थान.....



जयपुर विकास प्राधिकरण-प्रथम पक्ष
 (साक्षी अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज सन् 20..... के माह.....
 के..... वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
 श्री अनंकर लोकार्थी फोर हायर एजुकेशन
जयपुर कोषाधीन कार्यालय
 लीजधारक द्वारा कार्यालय..... में हस्ताक्षर किये गये।

Teena

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम रामनिवास
 पुत्र हरिनारायण
 व्यावसाय.....
 निवास स्थान 108 सोहन बाग की दायाँ
प्लान नं. 1, जयपुर
2. नाम रामकूल रैलानिया
 पुत्र प्रमोद रैलानिया
 व्यावसाय जयपुर कोषाधीन
 निवास स्थान शमनाथ की दायाँ कनवर
का काल, जयपुर

रामनिवास

साक्षी के हस्ताक्षर

Ramkumar

साक्षी के हस्ताक्षर



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0043209119



Payment Date: 25/09/2020 15:06:24

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	68880.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	137760.00
3	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	688800.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 895440.00

Eight Lakh Ninety Five Thousand Four Hundred Forty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION
TEENA KATARIA

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :JDA PATT A

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode):

Jaipur(302034)

Address: K H NO 30 VILLAG BISHANAWALA SIRSI ROAD JAIPUR

Remarks: JDA PATT A STAMP DUTY

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: 000632617722025092020

Date: 25/09/2020 15:06:24

Refrence No: IK0ASGTBA5

Computer generated copy on : 25/09/2020

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>



उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्

गठ निर्माण समिती समिति
की 28/09/20-30
25/09-30
5387.97
हेतु 788800+80

जयपुर सिविल इंजीनियरिंग, जयपुर





e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0043209119



Payment Date: 25/09/2020 15:06:24

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2020-To-31/03/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	68880.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	137760.00
3	0030-02-103-01-00-दस्तावेजो के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	688800.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 895440.00

Eight Lakh Ninety Five Thousand Four Hundred Forty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION TEENA KATARIA	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid ;JDA PATT A
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302034)
Address: K H NO 30 VILLAG BISHANAWALA SIRSI ROAD JAIPUR	Remarks: JDA PATT A STAMP DUTY

Payment Details:

Bank: State Bank Of India	Challan No. - 0	Bank CIN No: 000632617722025092020
Date: 25/09/2020 15:06:24	Reference No: IK0ASGTBA5	


Computer generated copy on : 25/09/2020

Courtsy : <https://Egras.raj.nic.in>

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्

..... गृह निर्माण सहायरी समिति
की अक्षरा नं०-30 के माध्यम से भूखण्ड
प्रि.नं-30 के माध्यम से 5387.97 की कीमत पर
हेतु 788800+10 के माध्यम से

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्





भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

923525



..... गृह निर्माण सहकारी समिति
की 23/11/20-30 नॉन ज्यूडिशियल में भूखण्ड
नं. 30 का 5387.97 की लीजडीड
हेतु 788800+10 का वसूल है।

[Handwritten Signature]

राजस्थान नॉन ज्यूडिशियल अधिकारी
नॉन ज्यूडिशियल-राज (गैर न्यायिक)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[Handwritten Signature]
उप निजीयक
जयपुर संप्रदाय

क्रमांक 1090 दिनांक 25/9/2020

क्रेता का नाम अंलकार सोसाइटी फोर हायर एजुकेशन

प्रेता का नाम जरिये कोषाध्यक्ष टीना कटारिया

निवास स्थान जयपुर

वास्ते पट्टा 1000000



कुन्ज बिहारी वैष्णव
ला नं. 64/2010
I.D.A. परिसर, जयपुर

राजस्थान सरकार अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्थापित जयपुर अधिभार	
• आधारभूत सुविधाएँ	2500
2 वायु और जल संकट निवारण सुविधाएँ	5000
• अन्य सुविधाएँ	7500
कुल राशि	


भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



INDIA

923524

राजस्थान RAJASTHAN

17 SEP 2021



सुप्रीम कोर्ट दिल्ली
की 29/1/2020-30
अपील-30 5387-979-51
हेतु 788800+50

उप-पंजीयक
जयपुर संसदम्

उप-पंजीयक
जयपुर संसदम्

क्रमांक 1090 दिनांक 25/9/2020

क्रेता का नाम अलेकार सोसाइटी जोर हायर एजुकेशन

पिता का नाम जयि कोषाध्यक्ष टीना कठारिया

निवास स्थान

वास्ते 472 (100000) जयपुर



कुंज बिहारी वैष्णव
ला नं. 64/2010
IDA परिसर, जयपुर



राजस्थान अध्यापन परिषद द्वारा 1998 के
अन्तर्गत स्थापित की गई एक अध्यापन आयोग
• आचार्यभद्रा अध्यापन आयोग मुंबई/पुणे इ.स.
द्वारा 2500
2 भाग की परसदी नकल की प्रतिलिपि प्रेषित है
5000
7500
अध्यक्ष अध्यापन आयोग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

923523

राजस्थान RAJASTHAN



की संख्या 30-30
प्र.सं. 30 5387.97
788800150

[Handwritten Signature]

उप पञ्जीयक
जयपुर संयुक्त

क्रमांक 1090 दिनांक 25/9/2020

क्रेता का नाम अलकार सोसाइटी फोर टापर एजुकेशन

पेता का नाम जयिँ कौषाह्यस दीना अटारिया

नेवास स्थान जयपुर

रास्ते पट्टा 100000



कुन्ज बिहार वैष्णव
ला नं. 84/2010
I.D.A परिसर, जयपुर



राजस्थान सरकार 1998 के
अन्तर्गत अनुदान अर्थात् आधिभार

1. आधारभूत सुविधाओं के लिए 2500

2. भाग बी के अन्तर्गत सुविधाओं के लिए 5000


कुल राशि 7500

अलकार सोसाइटी के अध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



INDIA

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

923783

राजस्थान RAJASTHAN



की 23.10.20
29.8.20 5387.97
है 78880450

पंजीयक
जयपुर सफ्तम्



क्र. 30
29/08/2022 5387/97
788800+50

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम्

क्रमांक 1091 दिनांक 25/9/2020

क्रेता का नाम अंलकार सोसाइटी जोर हायर एजुकेशन

पेता का नाम जयि कौषाध्यक्ष शिना करारिया

नेवास स्थान जयपुर

वास्ते शायपड 30

कुम्भ बिहारी वैष्णव
ला नं. 64/2010
IDA परिसर, जयपुर



राजस्थान अध्यापन परिषद 1998 के	
अन्तर्गत का का 20 के पर अध्यापन अधिभार	
• आधारभूत अध्यापन सुविधाएँ हूँ	
किसी भी प्रकार के कार्य	5
2 मास की अवधि के लिए के कार्य हूँ	10
किसी भी प्रकार के कार्य	15
कुल कार्य	30

कांतिश्री शर्मा
सिपाय

11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूलड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।
12. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस संस्थानिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जावेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
13. राज्यहित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थायी रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
14. लीजधारक द्वारा नगर विकास न्यास नगरीय भूमि के निस्तारण नियम 1974, राज्य सरकार व जविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विधियों एवं आदेशों तथा योजना के अनुमोदन एवं प्रथम शिविर के समय लागू भवन विनियम आदेशों की पूर्णतः पालना की जाएगी।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: जयपुर
 राजस्व ग्राम:
 खसरा नम्बर:
 योजना का नाम: लायपगपुरी-की
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/
 मीटर: 3837.15 वर्ग

पूर्व: पश्चिम: प्लॉट की संख्या यदि कोई
 हो: 307037 सीमा उत्तर: दक्षिण: मानचित्र
 संलग्न है।

नोट: इस भूखण्ड की शहरी जमाबंदी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 10613920/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 837800+50 के न. JNRJ458835 के कुल संख्या 1492 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
 आज सन् 20 21 के माह जुलाई के 30 वें दिन
 श्री रामरतन शर्मा R.A.S.
 ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

जयपुर विकास प्राधिकरण-प्रथम पक्ष
 उपयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 आरएन-उत्तर (प्रथम)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम: रमेश कुमार मीणा
 पुत्र: सहायक
 व्यावसाय: जान-18 (PRM-N)
 निवास स्थान: जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर)
2. नाम: एम. प्रकाश शर्मा
 पुत्र: तहसीलदार
 व्यावसाय: जोन-पी.आर.एन. उत्तर (प्रथम)
 निवास स्थान:

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज शुक्रवार सन् 20 21 के माह जुलाई
 के 30 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
 श्री अलंकार सोमारी जी एच.ए.के.ए. जयपुर कोषाध्यक्ष
 लीजधारक द्वारा कार्यालय टीना कटारिया में हस्ताक्षर किये गये।
PRM-N-1

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम: राम निवास साहूवाल
 पुत्र: हरि नारायण साहूवाल
 व्यावसाय: बुद्धि
 निवास स्थान: व्यावसाय जयपुर
2. नाम: हेम राज मीणा
 पुत्र: किशोर लाल मीणा
 व्यावसाय: पारिवेद
 निवास स्थान: सिरसीरीड जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्थल मानचित्र एवं संस्थानिक भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या :- संस्थानिक भूखण्ड 30-37


योजना का नाम :- नारायणपुरी-बी

समिति का नाम :- हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भू-उपयोग :- संस्थानिक

भूखण्ड का क्षेत्रफल :- 3837.18 वर्गगज

स्केल :- 1" = 100'



नोट:- भवन निर्माण स्वीकृति मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के अनुसार देय होगी।

कनिष्ठ अभियंता
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)

उपायुक्त
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-VII

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 18-08-2021 12:11 PM

Fee Receipt No	: 202102021011880	Receipt Date	: 18/08/2021
Name	: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS TREASURER TEENA KATARIA ,	Document S. No.	: 202101021010116
Address	: 00 ,SIRSI ROAD PANDIT GAIS AGENCY KE SAMNE ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A		
Face Value	: ₹ 10613920	Evaluated Value	: ₹ 19750541
Ord-Registration Fee	: ₹ 106140	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 191100	Stamp Duty	: ₹ 687000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 934540
		Total Amount	: ₹ 934540

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 52649166 ₹ 106440 # eStamp IN-RJ45887494575423T ₹ 828100

Signature of presenter or applicant for
copy or Search-certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0052650166



Payment Date: 18/08/2021 11:42:09

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 18/08/2021-To-31/08/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	7740.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	7740.00
3	0030-02-800-04-00-प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	7740.00
4	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	77402.00

Commission(-): 0.00

Total/NetAmount: 100622.00

One Lakh Six Hundred Twenty Two Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan.No.(If Applicable):

City(Pincode): JAIPUR(302021)

Address:PLOT NO 30 TO 37 NARAYANPURI B BISHNAWALA
SIRSI ROAD JAIPUR

Remarks:SOCIETY PATTI DUTY

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India

Bank CIN No: 000632698365918082021

Date: 18/08/2021 11:42:09

Refrence No: CKR1779809

Computer generated copy on : 18/08/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>



Teenu

h
उप पजीयक
जायपुर सप्तम

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0052649166



Payment Date: 18/08/2021 11:27:12

Office Name: SUB REGISTRAR-VII REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 18/08/2021-To-31/08/2021

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रप्तियां	300.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	106140.00

Commision(-):

0.00

Total/NetAmount:

106440.00

One Lakh Six Thousand Four Hundred Forty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): JAIPUR(302021)

Address:PLOT NO 30 TO 37 NARAYANPURI B BISHNAWALA
SIRSI ROAD JAIPUR

Remarks:JDA PATTA DUTY

Payment Details:

Challan No.- 0

Bank: SBlePAY(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: 10001322021081800598

Date: 18/08/2021 11:27:12

Refrence No: 5332183301816

Computer generated copy on : 18/08/2021

Courtesy : <https://Egras.raj.nic.in>

Teer

h
उप पंजीयक
जयपुर सप्तम



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan


e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ46604086443681T
Certificate Issued Date : 18-Aug-2021 11:10 AM
Account Reference : NONACC (SV)/ rj3154204/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ315420483929220405482T
Purchased by : ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION
Description of Document : Article 33(vii) Lease deed exceeding 30 year and perpetual
Property Description : PLOT NO 30 TO 37 NARAYANPURI B BSIHNAWALA SIRSI RAOD JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : SOCIETY PATTA DUTY
Second Party : ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION
Stamp Duty Paid By : ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION
Stamp Duty Payable (Rs.) : 4,44,000
(Four Lakh Forty Four Thousand only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 44,400
(Forty Four Thousand Four Hundred only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 88,800
(Eighty Eight Thousand Eight Hundred only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 5,77,200
(Five Lakh Seventy Seven Thousand Two Hundred only)

Teenu



उप पजीयक
जयपुर सप्तम



KC 0005438408

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Presentation Endorsement

आज दिनांक 18 माह 08 सन् 2021 को 12:05 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS
TREASURER TEENA KATARIA पुत्र/पुत्री/पति श्री VIJAY PAL MIRDHA
उम्र 34 वर्ष, जाति 0-JAT , व्यवसाय Other
निवासी House No.:00, Colony: SIRSI ROAD PANDIT GAIS AJENCY
KE SAMNE , Area: MIRDHA FARM HOUSE , City: JAIPUR , Pin code:
302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101021010116

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities
under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम





Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102021011880
दिनांक	18-08-2021
पंजीयन शुल्क ₹	106140
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	637000
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	191100
कुल योग	934540

h

202101021010116

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम

रसीद नं.	202102021011884
दिनांक	18-08-2021
पंजीयन शुल्क ₹	0
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	0
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	521402
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	156420
कुल योग	677822

h

202101021010116

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम

REG. JAI PUR-VII



Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री ALANKAR SOCIETY FOR HIGHER EDUCATION AS TREASURER TEENA KATARIA , पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री VIJAY PAL MIRDHA , व्यवसाय Otherजाति 0-JAT House No.:00, Colony: SIRSI ROAD PANDIT GAIS AGENCY KE SAMNE , Area: MIRDHA FARM HOUSE , City: JAIPUR , Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executant Age : 34 Signature :

ने लेख्यपत्र The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।
प्रतिफल राशि रु 10613920/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 10613920/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAM NIWAS DADARWAL , पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HARI NARAYAN DADARWAL जाति JAT Age: 43 Add: House No.:00, Colony: DHANKYA , Area: DHANKYA , City: JAIPUR , Pin code: 302012, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202101021010116

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956



उप पंजीयक
जयपुर सप्तम



Registration Endorsement

आज दिनांक 18/08/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 671 में
पृष्ठ संख्या 44 क्रम संख्या 202103021108757 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2682 के
पृष्ठ संख्या 765 से 780 पर चस्पा किया गया।

202101021010116

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities
under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक
जयपुर जयपुर

18/08/21

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

स्थल मानचित्र एवं संस्थानिक भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या :- संस्थानिक भूखण्ड 30-37


योजना का नाम :- नारायणपुरी-बी

समिति का नाम :- हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भू-उपयोग :- संस्थानिक

भूखण्ड का क्षेत्रफल :- 3837.18 वर्गगज

स्केल :- 1" = 100'



नोट:- भवन निर्माण स्वीकृति मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 के अनुसार देय होगी।

कनिष्ठ अभियंता
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)

उपायुक्त
पी.आर.एन
(उत्तर-प्रथम)



Registration Endorsement

आज दिनांक 18/08/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 671 में
पृष्ठ संख्या 44 क्रम संख्या 202103021108757 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2682 के
पृष्ठ संख्या 765 से 780 पर चस्पा किया गया ।

202101021010116

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities
under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

उप पंजीयक
जयपुर सप्तम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

संस्थानिक पट्टा विलेख

(पृथ्वीराज नगर योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत)

D-02
30/07/2021



यह विलेख आज वर्ष 2021 के माह वे दिन जयपुर विकास प्राधिकरण/ जयपुर (जिन्हें इसके

बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री अलेकार सोलारी मोरेश्वर के शत्रु जति का खेड़ा रीता कपरिया पुत्र श्री. श्री. श्री. जयपाल मिश्रा जाति जाट व्यावसाय

निवासी मिर्बा पार्क एडस सिटी रोड जयपुर को इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इलाक में जहा कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलेह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि आवंटन दर तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदाकर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और उसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे, के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना नारायणपुरी-बी राजस्व ग्राम के/खसरा/भूखण्ड संख्या 307037 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अंतर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्र नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 2338077 अंके 2338077 अंके 2338077 मात्र पेशगी अदा करेगा, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प-6 (15) नविवि 3/87/पार्ट, जयपुर के दिनांक 29.01.2020 के अनुसरण में दर.../- रुपये प्रति वर्गगज से कुल आवंटित दर राशि रु. 4676153/- शब्दों में (द्वि.प.ली.स.ला.ख.दि.य.र.ए.ज.स.स.र.प.र.प.) रुपये मात्र) देय होती है जो चालान/रसीद नं. 723040 दिनांक 28/7/21 से जमा है इसका 2.50 प्रतिशत वार्षिक की दर से शहरी जमाबन्दी देय है, आदेश क्रमांक एफ-9(15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.01.2002 से 8 वर्षीय लीज राशि रु./- (शब्दों में) रुपये मात्र) होती है, जो चालान नं. 723040 दिनांक 28/7/21 से जमा है।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमिका किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अंतरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसी पुनरीक्षण या यथास्थिति अंतरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि:- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक के उपयोग हेतु जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गयी है, के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 2 वर्ष में लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन विनियमों के अनुरूप भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को नियमानुसार ही आगे और अंतरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्रगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अंतरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनो और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये, शासित होगी।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ नियमों के अनुसार निर्धारित फीस निश्चित की जायेगी, परंतु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति आवंटन दर व विकास शुल्क या नगरीय या ब्याज का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है की आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उलघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सनिर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

उप-पञ्जीयक उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी (कृ.प.उ.)
जयपुर सप्तम पी.आर.एन.-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा।
12. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस संस्था के सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। जिस संस्थानिक उद्देश्य हेतु संस्था को भूमि आवंटित की गयी है उसी उद्देश्य के लिए भूमि व भवन का उपयोग किया जावेगा। भूखण्ड व भवन का व्यावसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग या उपभोग नहीं किया जा सकेगा।
13. राज्यहित व विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/जिला दण्डनायक उक्त आवंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थायी रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
14. लीजधारक द्वारा नगर विकास न्यास नगरीय भूमि के निस्तारण नियम 1974, राज्य सरकार व जविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विधियों एवं आदेशों तथा योजना के अनुमोदन एवं प्रथम शिविर के समय लागू भवन विनियम आदेशों की पूर्णतः पालना की जाएगी।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम: जयपुर
 राजस्व ग्राम:
 खसरा नम्बर:
 योजना का नाम: लायपगपुरी-की
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्ग गज/
 मीटर: 3837.15 वर्ग

पूर्व: पश्चिम: प्लॉट की संख्या यदि कोई
 हो: 307037 सीमा उत्तर: दक्षिण: मानचित्र
 संलग्न है।

नोट: इस भूखण्ड की शहरी जमाबंदी को जोड़कर पंजीकृत मूल्य राशि रु. 10613920/- होती है। अतएव स्टाम्प राशि रु. 837800+50 के न. JNRJ458835 के कुल संख्या 1492 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से
 आज सन् 20 21 के माह जुलाई के 30 वें दिन
 श्री रामरतन शर्मा R.A.S.
 ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये-

जयपुर विकास प्राधिकरण-प्रथम पक्ष
 उपयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
 आरएन-उत्तर (प्रथम)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी :-

1. नाम: रमेश कुमार मीणा
 पुत्र: सहायक
 व्यावसाय: जान-18 (PRM-N)
 निवास स्थान: जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर)
2. नाम: एम. प्रकाश शर्मा
 पुत्र: तहसीलदार
 व्यावसाय: जोन-पी.आर.एन. उत्तर (प्रथम)
 निवास स्थान:

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज शुक्रवार सन् 20 21 के माह जुलाई
 के 30 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त
 श्री अलंकार सोमार्थी जी एच.ए.के.ए. जयपुर कोषाध्यक्ष
 लीजधारक द्वारा कार्यालय टीना कटारिया में हस्ताक्षर किये गये।
PRM-N-1

लीजधारक-द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम: रामनिवास साहूवाल
 पुत्र: हरिनारायण साहूवाल
 व्यावसाय: बुद्धि
 निवास स्थान: व्यावसाय जयपुर
2. नाम: हेमराज मीणा
 पुत्र: किशोर/लाल मीणा
 व्यावसाय: पारिवेद
 निवास स्थान: सिरसीरीड जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./पीआरएन/2026/डी- 675

दिनांक: 21-5-26

प्रमाण-पत्र

विषय: संस्थानिक भूखण्ड संख्या 30-37 योजना-नारायणपुरी-बी, सिरसी रोड, जयपुर के भूमि उपयोग के संबंध में।

अभिलेखानुसार यह प्रमाणित किया जाता है कि अलंकार सोसायटी फॉर हायर एजुकेशन (जरिये कोषाध्यक्ष श्रीमती टीना कटारिया) के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार पट्टे जारी किये गये हैं:

- स्थान/खसरा नंबर: संस्थानिक भूखण्ड संख्या 30-37 योजना-नारायणपुरी-बी
 - पट्टा क्रमांक: डी-2 (संस्थानिक)
 - पट्टा जारी दिनांक: 30-07-2021
 - कुल क्षेत्रफल: 3837.15 वर्ग गज
- स्थान/खसरा नंबर: खसरा नंबर 30 ग्राम बिशनावाला, सिरसी रोड, जयपुर
 - पट्टा क्रमांक: डी-1 (संस्थानिक)
 - पट्टा जारी दिनांक: 25.09.2020
 - कुल क्षेत्रफल: 5387.97 वर्ग गज

पत्रावली के अवलोकन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त भूमि का आवंटन "संस्थानिक" प्रयोजन हेतु विधिपूर्वक किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य, अलंकार महिला पी.जी.महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में संस्थानिक उपयोग की पुष्टि हेतु जारी किया जा रहा है।



Signed by: DAMODAR
SINGH, Deputy
Commissioner

Date: 2026-05-21

15:21:20 05:30

उपायुक्त, जयपुर पीआरएन
जविप्रा, जयपुर